

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन- जोधपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री जगदीश, कनिष्ठ सहायक, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माउण्ट आबू, सिरोंही जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17.02.2017 है तथा दिनांक 16.02.2019 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करती है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 05.08.2016 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 29.12.2018 को टकण परीक्षा उत्तीर्ण करती है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 17.02.2019 से रूपये 20800(लेवल 5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 29/04/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/1004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही।
- 2 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माउण्ट आबू, सिरोंही।
- 3 श्री जगदीश, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
- 4 प्रभारी सार्वर रूम मुख्यालय को गेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर